न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रुयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.– 124 / 2023

रोहिताश्व कुमार पुत्र हनुमार प्रसाद, जाति मेघवाल, निवासी ख्यालियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादी

बनाम

1. धाराराम पुत्र बनवारी लाल जाति नायक, निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. राकेश पुत्र बजरंगलाल जाति नायक, निवासी बामनवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. राहुल पुत्र सज्जन कुमार जाति नायक, निवासी सेही कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. संत कुमार पुत्र श्योनारायण जाति मेघवाल, निवासी जीणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. मथना सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति बांवरिया, निवासी अम्बेडकर नगर वार्ड 16, बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादी

<u>दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक – 04.09.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ़ की सरहाद में कृषि भूमि खसरा न0 417 रकबा 1.34 है0 कृषि भूमि में वादी के कब्जे काश्त हिस्से 27 / 206 यानी 0.54 है0 का वादी

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

एवं प्रतिवादी 1 लगायत 05 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन किया जाकर पर्चा लगान तथा खतौनी वादी के नाम से अलग से कायम की जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दरामद किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम कर रिकॉर्ड कायम करने का आदेश फरमावें।

(ख) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 1.34 है0 का जब तक बाई मिट्स एंड बाउण्डस खाता विभाजन नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि को विकय, गिरवी, रहन, बय एवं खुर्द बुर्द आदि नहीं करें वाद के हिस्से कब्जे काश्त भूमि में ना ता स्वयं बाधा कारित करें औन न ही अपने किसी एजेन्ट से बाधा कारित करावें जब तक विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन नहीं हो जाता तब तक मौके व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

(ग) यह कि प्रतिवादी नं. 6 को आदेशित किया जावे कि निर्णय व डिकी की पालना करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्धी जो बहक वादी हो भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो वादी के हक में निर्धारित की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की ओर से सुश्री संजू तंवर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया वकील वादी ने प्राथमिक डिकी हेतु निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 5 न तो स्वयं हाजीर आये न ही कोई अधिवक्ता आया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के वकील को दावा प्राथमिक डिकी किये जाने पर अनापत्ति जाहीर कि। वकिल वादी ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया । वकिल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिकी किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी संख्या 5 न तो स्वयं हाजीर आये न ही कोई अधिवक्ता आया अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- दयानंद रुयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 124 / 2023

निर्णय दिनांक :- **04-09-2023**

रोहिताश्व बनाम धाराराम वगै.

~~भंवर सिंह बनाम अनिल सिंह वगै0~~

दावा बाबत खाता विभाजन

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

वादी की ओर से **श्री अजय कुमार नायब** व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की ओंर से **सुश्री संजू कुमारी एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **04.09.2023** को **दयानंद रुयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

-:: आदेश::-

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ग्राम घुनाथपुरा तहसील सूरजगढ़ की सरहाद में कृषि भूमि खसरा न0 417 रकबा 1.34 है0 में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./2023/1259 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **04.09.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़